FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर मुकाम

भेराराम गोरा बनाम आणदाराम गोरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR नं. 337/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/11/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) ब्यावर	
11/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कैफियत तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/02/21 को पेश हो। [initials]	
08/02/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कैफियत तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/04/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:11 IST
Reason: SelfAttested

20/04/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण कार्यवाही तामिल गैरहाजिर। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2021 को पेश हो।

24/06/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण गैरहाजिर। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/11/21 को पेश हो।

09/11/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण गैरहाजिर। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 02/12/21 को पेश हो।

02/12/21

पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत कुडी की ढाणी में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण गैरहाजिर। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि शामिल खेत आई हुई है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ें व कांटे आये हुए थे वो वर्षों से बारिश की वजह से बिखर गये हैं जिससे ... के अपने खेत की सीमाओं का ... इस कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसलिए प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइशबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1430

दिनांकः– 2/12/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. भेराराम पुत्र बगताराम वगैरा 12
जाति जाट, निवासी चीबी
पटवार मण्डल चीबी
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. अणदाराम पुत्र लालाराम वगैरा 7
जाति जाट, नि. चीबी
पटवार मण्डल चीबी
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 337 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा –चीबी, पटवार मण्डल –चीबी, तहसील –गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 246 रकबा क्रमशः 132.0300 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1431-35

दिनांकः– 2/12/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार गिड़ा
2 पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री भेराराम पुत्र बगताराम वगैरा 12
4 विप्रार्थी गंगाराम पुत्र आदूराम वगैरा 52
5 पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु